जिला अभियंता, जिला परिषद, रामगढ़

अति अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना संख्या 19/2018–19

1. विज्ञापन दाता का नाम : जिला अभियंता, जिला परिषद, रामगढ़।
2. परिमाण विपत्र बिक्री की तिथि : दिनांक 21.01.2019 से 22.01.2019 तक कार्यालय दिवस में। (11:00 बजे पूर्वाह्न से 05:00 अपराह्न तक)
3. निविदा प्राप्ति की तिथि एवं समय : दिनांक 24.01.2019 (3:00बजे अपराह्न तक)
4. निविदा खोलने की तिथि एवं समय : दिनांक 24.01.2019 (4:00बजे अपराह्न)
5. परिमाण विपत्र बिक्री का स्थान : जिला परिषद कार्यालय, रामगढ़।
6. निविदा प्राप्त करने का स्थान : थाना परिसर, रामगढ़।
7. निविदा खोलने का स्थान : जिला परिषद कार्यालय, रामगढ़।
8. कार्य की विस्तृत विवरणी :–

क्र० सं0	प्रखण्ड	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि	अग्रधन की राषि (रुपये में)	परिमाण विपत्र की राषि (रुपये में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1.	रामगढ़	इंजिनियरिंग एवं मेडिकल कोचिंग के निमित ब्वॉयज हॉस्टल के लिए वार्ड नं0 14 के अरगडडा पश्चिमी पंचायत भवन का जीणोद्वार कार्य।	3424400.00	68488.00	5000.00	2 माह
2.	रामगढ़	इंजिनियरिंग एवं मेडिकल कोचिंग के निमित कोचिंग सेन्टर के लिए वार्ड नं0 15 के राजकीय मध्य विद्यालय, सिरका का जीर्णोद्वार कार्य।	3017800.00	60356.00	5000.00	2 माह

1. निविदा प्रकोष्ट का दुरभाष संख्या – 9572834383, 9934691319
2. निविदा प्रकोष्ट का E-mail Address – eedbramgarh@gmail.com
3. निविदा की शर्तें जिला परिषद, रामगढ़ के सूचनापट्ट एवं www.ramgarh.nic.in पर देखी जा सकती है।

नोटः– जिला परिषद, रामगढ़ में निबंधित संवेदक ही निविदा में भाग ले सकते हैं।

जिला अभियंता
जिला परिषद, रामगढ।

नियम एंव शर्तेः–

1. प्राक्कलित राषि घट–बढ़ सकती है तदनुसार परिमाण विपत्र में अंकित प्राक्कलित राषि के आधार पर अग्रधन की राषि में मान्य होगी।

2. जिला परिषद, रामगढ़/भवन निर्माण विभाग एवं ग्रामीण कार्य विभाग झारखण्ड सरकार में पंजीकृत समुचित श्रेणी के संवेदक ही निविदा में भाग ले सकेंगें। संषोधित निबंधन नियमावली के कंडिका 4.3 के अनुसार किसी श्रेणी में निबंधित संवेदक निबंधित श्रेणी से एक श्रेणी के निचे की निविदाओं में भाग लेने हेतु सक्षम होंगें।

3. परिमाण विपत्र क्रय के समय समुचित श्रेणी में जिला परिषद, रामगढ़ एवं भवन निर्माण विभाग (जो झारखण्ड राज्य में मान्य हो) का निबंधन की अभिप्रमाणित प्रति देना अनिवार्य होगा अन्यथा परिमाण विपत्र नहीं दिया जाएगा।

4. निविदा के साथ निविदा प्रपत्र में अंकित अग्रधन की राषि व्यक्तिगत नाम से पंजीकृत संवेदक अग्रधन के रूप में झारखण्ड राज्य के अन्तर्गत निर्गत राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र आठवां निर्गम या 3/5 वर्षीय बैंक सावधी जमा डाकघर पासबुक, झारखण्ड राज्य के राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत सावधी जमा ;थ्यगमक क्मचवेपजद्ध प्रमाण पत्र दे सकते है, उनके लिए बैंक गारण्टी मान्य नहीं है लेकिन व्यक्तिगत नाम के अतिरिक्त पंजीकृत संवेदक यानी कम्पनी अग्रधन की राषि के रूप में बैंक गारण्टी (झारखण्ड राज्य के अन्तर्गत राष्ट्रीयकृत बैंक), रॉष्ट्रीय बचत प्रमाण–पत्र (आठवां निर्गम) तीन वर्षीय सावधी जमा डाकघर पासबुक दे सकते है, जो जिला अभियंता, जिला परिषद, रामगढ़ के पदनाम से विधिवत प्रतिज्ञिप्त हो, संलग्न करना आवष्यक है।

5. परिमाण विपत्र के लिए आवेदन पत्र के साथ परिमाण विपत्र की राषि राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्रॉफ्ट के रूप में ही मान्य होगा। बैंक ड्रॉफ्ट क्पेजतपबज म्दहपदममतए क्पेजतपबज ठवंतकए त्ंउहंती के पदनाम से निर्गत होगा। यह राषि किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं की जायेगी। बैंक ड्रॉफ्ट की वैधता निविदा निर्गत की तिथि से कम से कम तीन माह का होना अनिवार्य है।

6. प्रत्येक परिमाण विपत्र क्रय हेतू अलग – अलग मूल्य का डिमाण्ड ड्राफ्ट का होना अनिवार्य है।

7. निविदा के साथ पैन कार्ड, ळैज् निबंधन प्रमाण पत्र, दिसम्बर 2018 तक का अद्यतन ळैज् रिटर्न की प्रति, पिछले तीन साल 2016–17,2017–18 एवं 2018–19 का अद्यतन आयकर रिटर्न की प्रति, निबंधन पत्र, आचरण प्रमाण –पत्र, की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

8. निविदाकार निविदा में भाग लेने के पूर्व कार्य स्थल का स्वयं निरीक्षण करने के उपरांत स्थल की स्थिति से संतुष्ट होकर ही निविदा में भाग लेंगें।

9. यदि निविदा प्राप्ति की तिथि अवकाष घोषित होता है, तो अगले कार्य दिवस को निर्धारित समय पर निविदा प्राप्त की जाएगी।

10. निविदा प्रपत्र में सन्निहित सभी शर्तें निविदादाता को मान्य होगी।

11. संवेदक द्वारा निविदत राषि 10ः से कम या ज्यादा दर पर दिया गया निविदा मान्य नहीं होगा।

12. न्ब्।छ पंजीयन की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना होगा।

13. किसी प्रकार का दर बढोतरी (प्राइस एक्सटेंषन) मान्य नहीं होगा।

14. षर्तयुक्त निविदा मान्य नहीं होगा।

15. निविदा खोलने के समय निविदादाता या उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति उपस्थित रह सकते हैं।

16. कार्य समाप्ति के बाद कार्य त्रुटिपूर्ण दायित्व ;क्ममिबज स्पंइपसपजल च्मतपवकद्ध 2 (दो) वर्ष का होगा।

17. निविदा आमंत्रण सूचना एवं परिमाण विपत्र के साथ संलग्न षर्त एकरारनामा का अभिन्न अंग होगा।

18. निविदाकार सभी निविदा कागजात के सभी पृष्टो का क्रमवार पृष्ठ संख्या अंकित कर उपर के पृष्ट पर कुल पृष्ट संख्या अंकित करेंगें अन्यथा भविष्य में किसी तरह के विवाद के लिए वे स्वयं जिम्मेवार होंगें।

19. विगत तीन वर्षो का प्राक्कलित राषि के समतुल्य या अधिक राषि का भवन निर्माण कार्य में अनुभव प्रमाण पत्र सक्षम पदाधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

20. संवेदक को इस आषय का षपथ पत्र देना आवष्यक होगा कि वे अपना कार्य किसी को ैनइसमज नहीं करेंगें। कार्य आवंटन के उपरांत सबलेट करना एकरारनामा शर्त का उल्लंघन माना जाएगा एवं समुचित सूचना प्राप्त होने पर एकरारनामा रद्द करते हुए संवेदक को काली सूची में डालने की कार्रवाई की जाएगी।

21. एकरारनामा के समय व्यक्तिगत नाम से पंजीकृत संवेदक षेष अग्रधन की राषि के रूप में झारखण्ड राज्य के अन्तर्गत निर्गत राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (आठवां निर्गम) तीन वर्षीय/पॉच वर्षीय डाकघर सावधी जमा पासबुक, झारखण्ड राज्य के राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत सावधी जमा प्रमाण पत्र दे सकते है, उनके लिए बैंक गारण्टी मान्य नहीं है लेकिन व्यक्तिगत नाम के अतिरिक्त पंजीकृत संवेदक यानी कम्पनी को अग्रधन की राषि के रूप में बैंक गारण्टी (झारखण्ड राज्य के अन्तर्गत राष्ट्रीयकृत बैंक), रॉष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (आठवां निर्गम) तीन वर्षीय/पॉच वर्षीय डाकघर सावधी जमा पासबुक जमा करना होगा, जो जिला अभियंता, जिला परिषद, रामगढ़ के पदनाम से विधिवत प्रतिज्ञिप्त हो। शेष 5ः चलता लेखा विपत्र से काटा जायेगा।

22. कार्य आवंटन के उपरांत एक सप्ताह के अन्दर एफ0–02 (थ्2द्ध पर एकरारनामा कर कार्य प्रारम्भ करना होगा अन्यथा विलम्ब होने पर अग्रधन की राषि जब्त कर ली जायेगी।

23. निविदा दाताओं को संबंधित कार्य का एक समबद्ध कार्यक्रम समर्पित करना होगा, जो एकरारनामा का एक अंग होगा।

24. निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों को श्रम विभाग द्वारा न्यूनतम मजदूरी का भुगतान अनिवार्य है।

25. विभाग द्वारा किसी भी प्रकार का निर्माण सामग्री (सीमेंट, लोहा इत्यादि) एंव यांत्रिक उपकरण (मिक्सचर मषीन, भाईब्रेटर इत्यादि) मुहैया नहीं करायी जायेगी। निर्माण सामग्रियों यथा, ईंट, स्टोन, छड़, सीमेन्ट, मेटल, चिप्स इत्यादि विषिष्टियों के अनुरूप कार्य स्थल पर संवेदक को स्वयं आपूर्ति करना होगा।

26. गुण नियंत्रण प्रतिवेदन के बिना विपत्र का भुगतान नहीं किया जायेगा।

27. लघु खनिज नियमावली 1992 के नियम 110 अनुपालन करना होगा। सभी व्यवहृत लघु खनिजों का खनन पदाधिकारी द्वारा सत्यापित प्रपत्र ट एवं च की उपलब्धता पर ही संपादित कार्यों का भुगतान किया जाएगा।

28. आवंटन उपलब्ध होने पर ही भुगतान किया जाएगा। आवंटन के अभाव में किसी तरह का दावा मान्य नही होगा।

29. सामान्यतः इन कार्यों के लिए अवधि विस्तार की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी एंव एकरारनामा अवधि में कार्य पूर्ण नहीं करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।

30. निविदा में भाग लेने वाले संवेदक का किसी भी विभाग में कोई भी कार्य तय एकरारनामा अवधि के छः माह उपरांत भी लंबित नही है। इस आषय का शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा अन्यथा उनके निविदा पर विचार नही कियाा जायगा।

31. अधोहस्ताक्षरी को बिना कारण बताए निविदा रद्द करने का अधिकार सुरक्षित होगा एवं इसके निमित कोई सूचना अलग से नहीं दी जायगी।

32. विषेष जानकारी के लिए कार्यालय अवधि में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में सम्पर्क करें या सुचना पट्ट देखें।

33. निविदाकार को यंत्र–संयत्र यथाकंक्रीट मिक्सचर मषीन एवं वाईब्रेटर मषीन स्वामित्व का प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित निविदा के साथ संलग्न करना होगा।

34. जिस संवेदक को/किसी विभाग द्वारा पूर्व में आवंटित कोई कार्य लंबित है अथवा उनका कार्यान्यवन संतोषजनक नही होने पर उन्हे कार्य आवंटित नही किया जाएगा। सभी संवेदक को इस आषय का शपथ पत्र देना होगा कि इस विभाग द्वारा उन्हें आवंटित कोई कार्य लम्बित नही है।

जिला अभियंता,
जिला परिषद, रामगढ़।